Volume-4, No. I, Feb-2017, pp. Hin.-01-04

उत्तर प्रदेश में समाज के विकास के लिए शराबबंदी की मांग उत्तर प्रदेश सरकार के लिये बडी चूनौती

डा. वीरेन्द्र कुमार, असिस्टेन्ट प्रौफेसर (शिक्षा विभाग)
डी.पी.बी.एस.(पी.जी.) कालिज अनूपशहर बुलन्दशहर उ.प्र. भारत।
चौ.चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ उ.प्र. भारत।

सार

उत्तर प्रदेश में नयी सरकार बनने के बाद से जिस तरफ देखो उस तरफ शराबबंदी के लिए आवाज उठाई जा रही है। यह आवाज महिलाएं उठा रही है। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में शराबबंदी के पक्ष में आवाज बुलंद की जा रही है और लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अपना कार्यकाल संभालते ही निर्णय लिए हैं, चाहें अवैध भूचडखानों और बिना लाइसेंस के मीट की बिक्री करने वालों पर कार्यवाही हो, चाहें एंटी रोमियों दस्ता मनचलों और छेडखानी करने वालों पर कार्यवाही हो या कानून व्यवस्था से जुडे हुए अन्य प्रश्न, उत्तर प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इन सब चीजों से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आमजन की भलाई के लिए रोज नए–नए कदम उठा रहे हैं, इन सब चीजों से आम लोगों की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली नयी साकार से काफी उम्मीदें बढ गई हैं। इसी कडी में यूपी में अब शराबबंदी की भी मांग जोर पकड रही हैं। सबसे बडी बात इस आंदोलन का नेतृत्व खुद महिलाएं कर रही हैं, और शराब बिक्री के विरोध में लगातार प्रदर्शन किये जा रहे हैं।

मुख्य शब्द– महिला एवं लडकियों को परेशानी, घरेलू हिंसा, बलात्कार की घटना, शराब बन्दी के उपाय, निष्कर्ष

उत्तर प्रदेश में शराबबंदी की मांग की बात की जाए तो यह मांग उत्तर प्रदेश के हर जिले से उठ रही हैं। उच्चतम न्यायलय ने 15 दिसंबर 2016 को स्टेट और नेशनल हाइवे के किनारे की शराब की दुकानों को 01 अप्रैल 2017 तक बन्द करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही हाइवे के किनारे के होटलों में भी शराब बिक्री पर रोक लगाई थी। उच्चतम न्यायलय ने अपने आदेश में कहा था कि नेशनल स्टेट हाइवे के किनारे शराब की दुकानें नहीं होनी चाहिए। उच्चतम न्यायलय ने शराब की दुकानों को हाइवे से 500 मीटर दूर करने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश में सरकारों से नया लाइसेंस जारी नहीं करने और न ही पुराने लाइसेंस को रिन्यू करने का फरमान सुनाया था उच्चतम न्यायलय ने लंबी दूरी तय करने वाले वाहन बस हो या ट्रक उसके ड्राइवरों के शराब पीकर चलाने के चलते होने वाली सडक दुर्घटनाओं के मद्देनजर यह आदेश सुनाया था। उच्चतम न्यायलय के इस आदेश के बाद शराब की दुकानें राजमार्गों से उठाकर आबादी वाले इलाकों में स्थानान्तरित हो रही हैं, कहा जाए तो कुछ दुकानें स्कूलों और मदिरों के पास भी स्थानान्तरित कर दी गयीं। इन सब बातों से महिलाओं को शराब बंदी के लिए आगे आना पड रहा हैं। अगर सरकारी नियमों की बात की जाए तो नियमों के मुताबिक किसी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या धार्मिक स्थल से 100 मीटर के दायरे में शराब की दुकान खोलने पर प्रतिबन्ध हैं। लेकिन शराब विक्रेताओं द्वारा लगातार इन नियमों की अनदेखी की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार के समय इस मामले में शराब विक्रेताओं को शासन और प्रशासन का संरक्षण प्राप्त था। शराब बंदी के पक्ष में विरोध कर नई योगी सरकार से उम्मीद है कि वो इनकी बात सुनेगी और इस मामले में कोई ठोस कदम उठाएगी।

महिला एवं लडकियों को परेशानी–

वर्तमान में सबसे ज्यादा परेशानी जिनको उठानी पड रही है वो हैं महिलाएं। आबदी वाले क्षेत्र में खुली शराब की दुकानों से महिलाओं और लडकियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पडता हैं। जब भी महिलाएं किसी काम कें लिए इन शराब की दुकानों के आगे से गुजरती हैं, तो शराब पीने वाले मनचले उन पर अश्लील फब्तियां कसते हैं और छेडखानी जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं। स्कूल और कॉलेज के पास खुली हुई शराब की दुकानों से लडकियों को स्कूल या कॉलेज जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पडता हैं। स्कूल और कॉलेज के लिए आने जाने में लडकियों को उनकी ओछी अश्लील फब्तियों और छेडखानी जैसी समस्यायों का सामना करना पडता है। इसलिए ग्रामीण इलाकों में स्कूल और कॉलेज के पास खुली शराब की दुकानों की वजह से मॉ बाप अपनी बेटियों का स्कूल तक में जाना बंद

करा देते हैं। एक नजरिए से देखा जाए तो मॉ बाप का यह कदम सही भी है, कोई भी मॉ बाप अपनी बेटियों के साथ छेडखानी और बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं चाहता है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को शराब की दुकानों और शराबियों की वजह से महिलाओं व स्कूल और कॉलेज में जाने वाली लडकियों के लिए बढ रही असुरक्षा की भावना को मद्देनजर रखते हुए कोई निर्णय लेना चाहिए।

घरेलू हिंसा–

अगर बात की जाए घरेलू हिंसा की तो, सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा का कारण शराब बनती हैं। इस घरेलू हिंसा का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। शराबी पति द्वारा पत्नी के साथ मारपीट आम बात हो गयी है। इसका सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव बच्चों पर पडता हैं। इसलिए शराब बंदी के पक्ष में महिलाओं का आगे आना शराब की वजह से रोज की मारपीट और घरेलू हिंसा होना भी एक बहुत बडा कारण हैं।

बलात्कार की घटना–

देश में अब तक घटित हुई बलात्कार की घटनाओं में ज्यादातर आरोपियों द्वारा शराब के नशे में बलात्कार किया गया। अगर उत्तर प्रदेश सहित देश में शराब बंदी होती है तो बडे पैमाने पर बलात्कार जैसी घटनाओं में भी भारी कमी आएगी। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि शराब के नशे में व्यक्ति अपनी सुधबुध खो देता है। शराब पीने के बाद व्यक्ति को महिला में अन्तर नही दिखाई देता है इसलिए शराब पर पूर्णतः प्रतिबन्ध जरूरी हो गया है।

भारत के कई राज्यों गुजरात और बिहार में शराब पर पूर्णतः पाबंदी लगाई गयी है, और वहां कि सरकारों को इसमें कामयाबी भी मिली हैं गुजरात में तो शराब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मुखयमंत्री रहते ही पूर्ण रूप से प्रतिबन्ध लगा दिया था, और तभी आज गुजारत को शराब बंदी के मामले में मॉडल राज्य के रूप में देखा जाता है। पिछले साल से बिहार में भी शराब पर पाबंदी लगाई गयी। जिसमें बिहार की नीतीश सरकार को कामयाबी भी मिली और चारों ओर नीतीश कुमार के शराब बंदी के दिमाग की सराहना की गयी।

उत्तर प्रदेश में शराब का वर्तमान ब्यौरा देशी शराब की दूकाने–14400, अग्रेंजी शराब की दूकाने–5800, बीयर की दूकानें–4800 तथा माडल शाप–400 है तथा पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश में शराब से प्राप्त होने वाला राजस्व 17500 करोड है। उत्तर प्रदेश के सरकारी खजाने को कुल राजस्व का 20 प्रतिशत से ज्यादा शराब की बिक्री से प्राप्त होता है। बंदी की बात की जाए तो यहां पर शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाना राज्य सरकार के लिए आसान नहीं होगा, क्योकि उत्तर प्रदेश जैसे बडे राज्य को राजस्व का एक बडा हिस्सा शराब की बिक्री से मिलता है। इसलिए उत्तर प्रदेश राज्य में शराब पर पूर्णतः पाबंदी लगाने के लिए एक बहुत बडी इच्छा शक्ति चाहिए। गुजरात और बिहार दोनों राज्य शराबबंदी के मामले में मॉडल राज्य हैं, उन्होंने साबित कर दिखाया है कि पूर्ण शराबबंदी से भी सरकार चलाई जा सकती है। पूरे उत्तर प्रदेश सें जिस प्रकार से शराबबंदी के पक्ष में आवाज उठाई जा रही है, इससे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक सन्देश जा रहा है। अगर योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में शराबबंदी के लिए अपनी दृढ इच्छशक्ति का प्रदर्शन करते हैं तो योगी आदित्यनाथ जैसे सशक्त व्यक्ति के लिए शराबबंदी से होने वाले राजस्व के घाटे से पार पाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश कि नवनिर्वाचित योगी सरकार द्वारा कोई भी सकारात्मक रूख नहीं अपनाया गया है और न ही भाजपा द्वारा पूर्णतः शराबबंदी को अपने चुनावी संकल्प पत्र में शामिल किया गया था। पूरे उत्तर प्रदेश में लागातार शराब पर पूर्ण रूप से पाबंदी के लिए प्रदर्शन किये जा रहे हैं। जिसमें महिलाओं, बुजुर्गों ओर बच्चों कि अधिकतर भागीदारी देखी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से आगरा में पुलिस के सामने शराबबंदी के पक्ष में शराब के ठेके पर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को शराब के ठेकेदारों ओर कर्मचारियों ने दौडा–दौडा और बाल घसीटकर पीटा, उस से साबित होता है कि शराब के ठेकेदारों को आज भी पुलिस प्रशासन ओर शासन का संरक्षण प्राप्त है। महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले लोगों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने सख्त करने कि जगह कहा है कि महिलाएं शराब की दुकानों पर तोडफोड कर कानून हाथ में ना लें, साथ ही ऐसा करने वालों पर सख्त कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। इस मामले में सरकार को महिलाओं कि स्थिति को समझना चाहिए। ऐसा क्या कारण रहा कि महिलाओं को शराब पर पूर्ण पाबंदी के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में सडकों पर उतारना पडा, इस पर भी योगी सरकार को गौर करना चाहिए। कुछ लोग शराब पर पाबंदी लगाने से इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इससे लाखों लोगों को बेरोजगार होना पडेगा ओर शराब व्यक्ति को आजादी के अधिकार के खिलाफ बता रहे हैं। इस पर भी सुप्रीम कार्ट ने जीवन के अधिकार और रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकार के बीच संतुलन बनाने की बात करते हुए अपने आदेश की व्याख्या करते हुए कहा है कि शराब का कारोबार करना मौलिक अधिकार नहीं है। रोजगार की आजादी का अधिकार शराब के कारोबार पर लागू नहीं होता क्योंकि शराब का कारोबार संवैधानिक सिद्धांत में

व्यापार की श्रेणी से बाहर है। इसके अलावा रोजगार का अधिकार जीवन के अधिकार के बाद आता है। कोर्ट ने अपनी व्याख्या में कहा है कि एक तरफ लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की रक्षा करना और सडक का उपयोग करने वालों को शराब पीकर गाडी चलाने वालों से बचाने की जरूरत है तो दूसरी ओर शराब कारोबार के व्यापारिक हितों की। कोर्ट ने कहा कि दूसरा हित पहले के बाद आयेगा। यानि पहले जीवन का अधिकार आता है और उसके बाद रोजगार का अधिकार आएगा। कोर्ट ने कहा कि हाईवे के 500 मीटर दूरी तक शराब की दुकानों पर रोक का आदेश देकर न तो कोर्ट ने किसी नियम का उल्लंघन किया है और न ही कानून बनाने की कोशिश की है। कोर्ट ने लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये आदेश दिया है। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने शराबबंदी मामले में जीवन के अधिकार और रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकार की जो व्याख्या की है वो एकदम उचित है क्योंकि शराब व्यकि के स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है और कई दुर्घटनाओं का कारण भी बनती है। शराबबंदी के मामले में रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकार की बात करने वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट की इस व्याख्या को ढंग से पढना चाहिए जिससे उन्हें जीवन के अधिकार ओर रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकार में अंतर समझ में आ जाएगा कभी भी रोजगार की आजादी के मौलिक अधिकार को जीवन के अधिकार से बडा नहीं माना जा सकता। शराब पर पूर्णतः पाबंदी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अवैध ओर बिना लाइसेंस के चल रहे शराब के ठेकों पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। लेकिन इतने भर से उत्तर प्रदेश की महिलाओं का गुस्सा ओर उग्र प्रदर्शन शांत नहीं होने वाला है। शराब पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है तो इससे हत्या, बालात्कार, छेडखानी, अपहरण और दंगे जैसी आपराधिक घटनाओं में भारी कमी आएगी। अगर प्रदेश में पूर्णतः शराबबंदी होती है तो इससे लोगों द्वारा शराब में खर्च हो रहा पैसा लोगों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च होगा। वैसे भी पोषण, शिक्षा ओर स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश काफी पिछडा हुआ राज्य है। शराबबंदी से कुपोषण, अशिक्षा, बीमारियों ओर अपराध पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। शराब पीना भी कई बुरी आदतों में से एक है। शराब स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती है। अगर इस पर पूर्णतः पाबंदी होगी तो इससे लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा और सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत बडी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक सात्विक ओर खुले विचार वाले व्यक्ति हैं वे पूरे उत्तर प्रदेश में शराबबंदी को लेकर हो रहे प्रदर्शनों को देख रहे हैं। आशा है कि इस दिशा में योगी आदित्यनाथ आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में एक बडा कदम उठाएंगे। क्योंकि दो साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बडा सूबा है। यहीं से लोकसभा में सबसे ज्यादा 73 सांसद भाजपा के हैं और उत्तर प्रदेश में शराब न पीने वाले लोग ओर महिलाओं कि संख्या बहुतायत में है। अगर योगी सरकार शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण मसले पर अपना ढीलापन दिखाती है तो इससे 2019 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को नुकसान भी उठाना पड सकता है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार जो भी होगी वो भविष्य को ध्यान में रखकर ही करेगी। लेकिन शराब सम्पूर्ण समाज के लिए घातक साबित हो रही है।

शराब बन्दी के उपाय–

शराब के सेवन से कष्ट को केवल कुछ समय तक राहत मिलती है। किसी भी समस्या का स्थायी समाधान शराब पीना नहीं है। दुर्भाग्य है कि हिन्दू, मुसलमान एवं ईसाई धर्मगुरू इस विषय पर मौन बने रहते है। देश में शराबबन्दी को सफलता पूर्वक लागू करना है तो सरकार को पहले धर्म गुरूओं से बात करके उनको इस कार्य में लगाना चाहिए और वे अपने समाज के लोगों को शराब के पाप बोध से बचने की सलाह दे। अगर मनुष्य की मानसिकता बदल जायेगी तो वह नशे की चीजों से तोबा कर लेगा और अगर ऐसा सरकार नही करती है तो शराब बन्दी के बाद मनुष्य नशे के अनेक रास्ते खोज लेता है। 1920 में अमरीका में शराब बन्दी लागू की गई थी। इसके बाद शराब का अवैध व्यापार करने को लिकर माफिया उत्पन्न हो गया। लोगों को शराब उपलब्ध होती रही, केवल इसका दाम बढ गया ओर इस काले धन्धे को करने वालों की बल्ले बल्ले हो गयी देश में अपराध का माहोल बन गया फलस्वरूप अमेरीका में 1933 में शराबबन्दी को हटाना पडा।

यहां हमें मुश्लिम देशों से सबक लेना चाहिए कई देशों ने धर्म के आधार पर शराबबन्दी लागू की है। इस्लाम धर्म द्वारा शराब पर प्रतिबन्ध लगाने से शराब पीने वाले को स्वमं अपराध अथवा पाप का बोध होता है। समाज में शराब बन्दी के पक्ष व्यापक जन सहमति बनती है तो इसके बाद कानून एक सीमा तक कारगर हो सकता है। जैसे अपने देश में सामाजिक मान्यता है कि किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए अगर कोई हत्या करता है तो समाज उसकी निंदा करता है। ऐसे में हत्यारों को पकडने में पुलिस कुछ कारगर सिद्व होती है। इसके विपरीत समाज में मान्यता है कि बेटी को विवाह के समय माता–पिता को सम्पत्ति में अधिकार के रूप में धन देना चाहिए।

कोई दहेज देता है, तो समाज उसकी प्रशांसा करता है। ऐसे में दहेज के विरूध पुलिस नाकाम है। तात्पर्य यह कि सामाजिक मान्यता बनाने के बाद ही कोई भी कानून सफल होता है। अतः ऐसी मान्यता बनाने के बाद ही शराबबन्दी कारगर हो सकती है।

निष्कर्ष–

निष्कर्ष रूप में हम कह सकते है सरकार को सम्पर्ण देश में एक ऐसा माहोल बनाना चाहिए कि पूरे देश से नशे की जडें खत्म हो जाऐ इसके लिए सम्पूर्ण देश में धार्मिक भावना के साथ इसको जोडना होगा तथा फिर कानून भी अपना काम करेगा। इससे पुरे देश में एक साथ यह कार्य होना चाहिए न कि अलग–अलग राज्यों में इसके लिए केन्द्र सरकार को सोचना होगा और अगर हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्बन्ध को बढाने के लिए आप पांच सितारा होटलों में मानक तय करके वहां पर आप शराब बन्दी में छूट दे सकते है लेकिन भारत जब विश्व गुरू था तो वह तो सम्पूर्ण मानव मात्र के कल्याण की बात करता था क्योकि भारत ने विश्व को ज्ञान देने का कार्य किया है उसका आधार वेद है वेद मानव मात्र की बात करता है उसमें सम्पूर्ण ब्रहमाण्ड को सुखी करने की बात की जाती है

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भावेत्॥

मानव मात्र को स्वस्थ करने के लिए उसे सभी प्रकार के नशों से मुक्ति दिलानी पडेगी वह जनजागरण पर ही सम्भव है। इस कार्य को धार्मिकता के आधार पर कर पाना सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ–

1. उगता भारत हिन्दी अखबार
2. दैनिक जागरण हिन्दी दैनिक
3. अमर उजाला हिन्दी दैनिक
4. हिन्दूस्तान हिन्दी दैनिक
5. टाईम्स आंफ इन्डिया अग्रेंजी दैनिक
6. पंजाब केशरी हिन्दी दैनिक
7. राष्ट्रीय सहारा हिन्दी
8. दिनांक टाईम्स हिन्दी
9. ऋग्वेद